राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –87/2025 निगरानी

1. चौथमल गुर्जर पुत्र भंवर लाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा, सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. अमित पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा, सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. शांति देवी पत्नी भंवर लाल गुर्जर निवासी भवानीपुरा, सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम विकास अधिकारी जरिए सचिव, ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. दुर्गेश गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी सरेरी स्टेशन भवानीपुरा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. देवीलाल पिता रामसहाय गुर्जर निवासी भवानीपुरा, सरेरी स्टेशन तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा के निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2024 को निरस्त करने व पट्टा नवीनीकृत आदेश दिनांक दिनांक 21.07.2023 की बहाली हेतु

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री धर्मेन्द्र आमेटा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 03 व 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्रा0प सरेरी द्वारा निगराकारान के पिता भंवरलाल पिता काना के नाम नियमानुसार पट्टा जारी किया गया, जिसकी मिसल संख्या 09 संवत 2039 से दिनांक 31.03.1983 को पट्टा जारी किया गया जिसके पडौस पट्टे में अंकित है। पट्टे में अंकितानुसार पडौसों के मध्य निगराकारान के पिता द्वारा मकान बनाकर निवासरत चले आ रहे हैं जो आज भी मौके पर मकान बना होकर निगराकारान उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा मकान में निवासरत है। मामले में तथाकथित भूखण्ड (मकान) के पट्टे का नवीनीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष निगराकारान के पिता भंवर लाल पिता काना गुर्जर द्वारा आवेदन दिनांक 25.05.2023 को प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 21.07.2023 को आवेदन का निस्तारण किया गया।

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी भंवर लाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान/निगराकारान को सुनकर नियमानुसार भूखण्ड (मकान) का मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी, मौका रिपोर्ट आने पर प्रार्थी भंवर लाल गुर्जर के वारिसान / निगराकारान के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 21.07.2023 को किया गया जो नियमानुसार नवीनीकरण किया गया है, जो सही है। यह निर्णय गैर–निगराकार संख्या 01 द्वारा दिनांक 21.07.2023 को ग्राम पंचायत की बैठक में 'सर्व सम्मत्ति से लिया गया जो ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या–11 के तहत् स्वीकार कर निर्णय पट्टा नवीनीकरण का आदेश पारित किया गया। लेकिन नवीनीकृत करने के बाद में गैरनिगराकार संख्या 03 व 04 जो कि रामसहाय के पुत्र है, रामसहाय द्वारा इस नवीनीकरण हेतु आपत्ती करने पर गैरनिगराकार संख्या 01 व 02 ने पंचायत की मिटिंग बुलाकर निगराकारान के पक्ष में किए गये नवीनीकरण को बिना सूचना व बिना जानकारी दिये दिनांक 07.03.2024 को नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया तथा नवीनीकरण को अवैध करार दिया। इस निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2024 की जानकारी निगराकारान को नहीं थी, निगराकारान को जानकारी मिलते ही निर्णय व आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। उक्त मामले में नवीनीकरण या कोई पट्टा जारी किया तो नवीनीकरण करने पर पट्टा जारी करने वाला प्राधिकारी को उन्हें निरस्त करने का कानून में कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को इस आपत्ती का निस्तारण स्वयं न कर उच्चस्तरीय प्राधिकारी के पास मामले को भिजवाया जाना चाहिए था, ऐसा गैरनिगराकार संख्या 01 द्वारा नहीं कर स्वयं ने ही कानून को हाथ में लेकर विधि में सुस्थापित नियमों को दरकिनार करते हुए आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2024 को पारित कर पट्टा नवीनीकरण करने के आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2025 अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाया जाकर नवीनीकरण आदेश दिनांक 21.07.2023 बहाल रखाये जाने का आदेश फरमावे ।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 व 04 की ओर से जवाब पेश किया गया। गैर निगराकार संख्या 3 व 4 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मामले में तथाकथित भूखण्ड (मकान) के पट्टे का नवीनीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष निगराकारान के पिता भंवर लाल पिता काना गुर्जर द्वारा आवेदन

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 25.05.2023 को प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 21.07.2023 को आवेदन का निस्तारण किया गया। लेकिन नवीनीकृत करने के बाद में गैरनिगराकार संख्या 03 व 04 जो कि रामसहाय के पुत्र है, रामसहाय द्वारा इस नवीनीकरण हेतु आपत्ती करने पर गैरनिगराकार संख्या 01 व 02 ने पंचायत की मिटिंग बुलाकर निगराकारान के पक्ष में किए गये नवीनीकरण को बिना सूचना व बिना जानकारी दिये दिनांक 07.03.2024 को नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया तथा नवीनीकरण को अवैध करार दिया। इस निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2024 की जानकारी निगराकारान को नहीं थी, निगराकारान को जानकारी मिलते ही निर्णय व आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। उक्त मामले में नवीनीकरण या कोई पट्टा जारी किया तो नवीनीकरण करने पर पट्टा जारी करने वाला प्राधिकारी को उन्हें निरस्त करने का कानून में कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को इस आपत्ती का निस्तारण स्वयं न कर उच्चस्तरीय प्राधिकारी के पास मामले को भिजवाया जाना चाहिए था, ऐसा गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा नहीं कर स्वयं ने ही कानून को हाथ में लेकर विधि में सुस्थापित नियमों को दरकिनार करते हुए आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2024 को पारित कर पट्टा नवीनीकरण करने के आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2025 अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाया जाकर नवीनीकरण आदेश दिनांक 21.07.2023 बहाल रखाये जाने का आदेश फरमावे।

गैर निगराकार संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार का विवादित पट्टेशुदा जायदाद जो निगरानी में बताकर आए है, उक्त स्थान पर कोई मकान निगराकार का नहीं है। निगराकार ने यह उल्लेख किया कि उनके पिता भंवर लाल ने दिनांक 25.05.23 को पंचायत में आवेदन किया था जबकि भंवरलाल की मृत्यु तो 30.01.2019 को ही हो गई थी। निगराकार ने षडयंत्र रचकर फर्जी आवेदन किया है तथा पंचायत को मुगालते मे रखते हुए धोखे से दिनांक 21.7.2023 को विधि विरूद्ध नवीनीकरण कराया गया। गैर निगराकारान द्वारा आपत्ती के बाद पंचायत द्वारा पूर्ण जांच पडताल कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियम विरूद्ध नवीनीकरण को दिनांक 07.03.2024 को प्रस्ताव सं 3 पारित करते हुए निरस्त कर दिया। उक्त प्रस्ताव पंचायत ने कौरम बुलाई जाकर बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नियमानुसार प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से ही निर्णय लेकर उक्त अवैध पट्टे के निरस्तीकरण को निरस्त किया था जो विधि संगत है। उक्त कौरम में वार्ड पंच सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कर हस्ताक्षरित प्रस्ताव सं 3 पारित किया गया। इसकी सूचना निगराकारान को पंचायत ने

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दी, जिससे निगराकार को दिनांक 07.03.2024 को उक्त निरस्तीकरण की जानकारी थी, पंचायत द्वारा निरस्तीकरण की सूचना दिनांक 16.04.2024 व फर्दन–फर्दन दो तीन मर्तबा दी गई तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर निगराकार व आमजन को सूचित किया गया था। इस प्रकार निगराकार को नवीनीकरण निरस्तीकरण की जानकारी हो चुकी थी। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन, तथ्यहीन एवं होने से सव्यय खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि पटटे के नवीनीकरण को स्वीकारने /अस्वीकारने के संबंध में ग्राम पंचायत को विधिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हैं। इस न्यायालय से ग्राम पंचायत को इस बाबत् कोई निर्देश दिये जाने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा